

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

EMAIL :- ABSECSECEDU@GMAIL.COM

—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य —उमावि व समकक्ष जो कि निलंबन उपरान्त कॉलम संख्या-3 में अंकित कार्यालय पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, का कॉलम संख्या 4 में अंकित अवधि का निर्वाह भत्ता निर्देशानुसार कॉलम संख्या-5 में अंकित विद्यालय के संस्था प्रधान (प्राचार्य एवं समकक्ष) के रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित कार्मिक/शिक्षा अधिकारी के कॉलम संख्या-4 में वर्णित अवधि में अनियोजित रहने संबंधित पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का निर्वाह भत्ता आहरित नहीं किया जावे।

S.N.	NAME EMPLOYEE	PRESENT POSTING PLACE/HEQAD QUARTER	PERIOD	SCHOOL NAME AND BLOCK	DISTRICT
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1	RANDHIR SINGH RJBP200507009688	OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER (HEAD QUARTERS) SECONDARY EDUCATION, BARMER	07 JULY 2026 TO CONTINUE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARKHALI (226800) BLOCK BAITU	BARMER
2	VEERENDRA SINGH YADAV RJAL199602019897	OFFICE OF CHIEF BLOCK EDUCATION OFFICER, BLOCK- CHOHTTAN, DISTRICT- BARMER	01 JULY 2026 TO CONTINUE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARUPONIYON KA WAS (497321) BLOCK BAITU	BARMER

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
दिनांक :- यथा हस्ताक्षर

क्रमांक:- SHIVIRA/MADHYA/SANSTHA/B1,2/NIRVAH BHATTA/2024/22041

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ व पालनार्थ :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
2. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
4. स्टॉफ ऑफिसर, निजी-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय हाजा को सूचनार्थ ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित संस्था प्रधान को उपरोक्त आदेश की अक्षरशः पालना करने हेतु पाबंद करावें ।
7. अनुभाग अधिकारी रोकड/विभागीय जांच अनुभाग कार्यालय हाजा ।
8. प्रभाग प्रभारी प्रभाग ए-4 को सूचनार्थ ।
9. संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)